हापुस नाम की जंग: कोंकण बनाम वलसाड का GI विवाद

प्रकाशन: 26 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 24 नवंबर 2026 (प्रेस रिपोर्ट)

प्रिलिम्स: भौगोलिक उपदर्शन (GI), GI रजिस्ट्री, अल्फोन्सो (हापुस) आम

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-I, क्षेत्रीय पहचान; सामान्य अध्ययन-III, बौद्धिक संपदा अधिकार, कृषि विपणन



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com।

खबरों में क्यों

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और गुजरात के वलसाड के आम उत्पादकों के बीच **हापुस नाम को लेकर विवाद** निर्णायक चरण में है। कोंकण के अल्फोन्सो आम को वर्ष 2018 में भौगोलिक उपदर्शन (GI) टैग मिल चुका है। वलसाड हापुस के लिए दायर आवेदन का कोंकण के उत्पादकों ने विरोध किया है। प्रेस रिपोर्टों के अनुसार GI रजिस्ट्री ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता से समाधान तलाशने का सुझाव दिया था, पर कोंकण के उत्पादकों ने, 21 नवंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 19 नवंबर को, समझौते का प्रस्ताव ठुकरा दिया। **सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रखा गया है।** याद रहे, अभी न किसी मौजूदा GI का रद्दीकरण हुआ है और न नया GI जारी हुआ है।

पंजीकृत GI "Alphonso" (आवेदन संख्या 139) है; विवाद हापुस नाम के उपयोग को लेकर है।

सावधानी: यह लेख एक समाचार रिपोर्ट (24 नवंबर 2026) और अन्य प्रेस रिपोर्टों पर आधारित है। GI रजिस्ट्री का आदेश आना बाक़ी है।

क्या है भौगोलिक उपदर्शन (GI)

मूल बात समझिए: भौगोलिक उपदर्शन (जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI) एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद को उसके विशेष भौगोलिक मूल से जोड़ता है और मान्यता देता है कि उसकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा उसी स्थान से जुड़ी है। इससे उस नाम का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों के उत्पादों के लिए नहीं किया जा सकता और पंजीकृत उत्पादक अपनी पहचान के साथ बाज़ार में उतर सकते हैं। भारत में GI की व्यवस्था माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत होती है।

कोंकण अल्फोन्सो का GI: GI रजिस्ट्री के रिकॉर्ड में "Alphonso" आवेदन संख्या 139 के रूप में पंजीकृत है। प्रमाणपत्र 3 अक्टूबर 2018 का है, आवेदक डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ के अनुसंधान निदेशक हैं और पंजीकरण 21 सितंबर 2028 तक वैध है। PIB की 5 अक्टूबर 2018 की विज्ञप्ति के अनुसार **रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणे और पालघर** ज़िलों के अल्फोन्सो आम को यह GI मिला।

विवाद क्या है

वलसाड का आवेदन: वलसाड हापुस के लिए आवेदन भारतीय किसान संघ और नवसारी कृषि विश्वविद्यालय ने दायर किया। (आवेदन की तारीख़ को लेकर रिपोर्टें अलग-अलग हैं, इसलिए यहाँ तारीख़ नहीं दी गई है।) उनका तर्क है कि वलसाड और आसपास के क्षेत्र की अल्फोन्सो उगाने की अपनी परंपरा है, उत्पाद की अलग विशेषताएँ हैं और इसे हापुस नाम इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

राजनीतिक पहल: प्रेस रिपोर्टों के अनुसार मार्च 2025 में वलसाड के सांसद ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को पत्र लिखकर **एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)** पहल के तहत आवेदन का समर्थन माँगा। उनका तर्क था कि रत्नागिरी अल्फोन्सो का सीज़न सामान्यतः मई के तीसरे सप्ताह तक ख़त्म हो जाता है, जबकि वलसाडी हापुस का चरम सीज़न तब शुरू होता है, इसलिए अलग टैग गुजरात के किसानों को अपनी पहचान बनाने में मदद करेगा।

कोंकण का विरोध: आपत्ति मुख्य रूप से **हापुस नाम** पर है। कोंकण के उत्पादक कहते हैं कि वलसाड अपने आम के लिए किसी और नाम से मान्यता ले सकता है; एक ही नाम दो क्षेत्रों को मिलने से उपभोक्ता भ्रमित होंगे और कोंकण अल्फोन्सो की प्रतिष्ठा कमज़ोर होगी। उनका कहना है कि कोंकण की मिट्टी, जलवायु और तटीय परिस्थितियाँ ही फल के स्वाद और सुगंध का आधार हैं।

दाँव पर क्या है

आर्थिक दाँव: रिपोर्टों के अनुसार कोंकण हापुस का घरेलू बाज़ार लगभग **200 करोड़ रुपये** और निर्यात लगभग **80 करोड़ रुपये** का है। उत्पादकों को डर है कि उसी नाम का दूसरा GI प्रीमियम क़ीमत को कमज़ोर करेगा।

बाज़ार व्यवस्था: महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडल ने बाज़ार समितियों को निर्देश दिए हैं कि आम उसी राज्य और किस्म के नाम से बेचे जाएँ, जहाँ से आए हैं। GI लोगो, पंजीकृत उत्पादकों का विवरण और QR कोड से असली कोंकण हापुस की पहचान कराने की सिफ़ारिश की गई है।

किसानों का संगठन: उत्पादकों ने 3 दिसंबर को देवगढ़ में आम उत्पादक सम्मेलन की घोषणा की है ताकि आगे की रणनीति तय हो सके। उनकी माँग है कि वलसाड अलग नाम से टैग ले, जैसे गोवा के आम हिलारियो और मुसराद नाम से जाने जाते हैं।

परीक्षा की दृष्टि से विश्लेषण

नाम बनाम उत्पाद: यह विवाद GI क़ानून के एक मूलभूत सवाल को छूता है, GI किसी किस्म को नहीं, किसी क्षेत्र के उत्पाद और उसकी प्रतिष्ठा को मिलता है। इसीलिए कोंकण पक्ष का विरोध उत्पाद से नहीं, नाम से है।

पड़ोसी क्षेत्रों का दायरा: जब दो भौगोलिक रूप से निकट क्षेत्र एक जैसी जलवायु साझा करते हैं, तो GI सीमा कहाँ खींची जाए, यह नीति का कठिन प्रश्न है।

GI की सीमा: टैग के बाद भी बाज़ार में नक़ली बिक्री रोकने के लिए लोगो, पंजीकरण और QR जैसी पहचान व्यवस्था ज़रूरी है; केवल पंजीकरण पर्याप्त नहीं होता।

आगे की राह

अब निर्णय GI रजिस्ट्री का है। जो भी निर्णय आए, उसका संतुलन दो बातों पर होगा: कोंकण की स्थापित प्रतिष्ठा की रक्षा और वलसाड के किसानों की अपनी पहचान की माँग। अलग नाम वाला विकल्प, जिसे कोंकण पक्ष स्वीकार करने को तैयार बताया गया है, दोनों हितों को जोड़ने का एक रास्ता हो सकता है।

PCSMANTRA.COM

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. हापुस GI विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: कोंकण के अल्फोन्सो आम को GI टैग वर्ष 2010 में मिला था।

कथन 2: कोंकण के उत्पादक मुख्य रूप से हापुस नाम के उपयोग पर आपत्ति कर रहे हैं।

कथन 3: इस आवेदन पर GI रजिस्ट्री ने निर्णय सुरक्षित रखा है और अभी कोई नया GI जारी नहीं हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

कथन 1 गलत है, कोंकण के अल्फोन्सो का GI प्रमाणपत्र 3 अक्टूबर 2018 का है। कथन 2 सही है, कोंकण पक्ष की आपत्ति मुख्य रूप से हापुस नाम पर है। कथन 3 सही है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, निर्णय सुरक्षित है और कोई नया GI जारी नहीं हुआ है।

प्रश्न 2. हालिया हापुस विवाद के संदर्भ में, कोंकण के आम के लिए GI रजिस्ट्री में पंजीकृत GI किस नाम से है?

(a) हापुस

(b) रत्नागिरी आम

(c) अल्फोन्सो (Alphonso)

(d) कोंकण केसर

▼ **उत्तर और व्याख्या**

उत्तर: (c)

GI रजिस्ट्री में पंजीकृत GI "Alphonso" (आवेदन संख्या 139) है। विवाद इस पंजीकृत GI का नहीं, हापुस नाम के उपयोग का है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. "हापुस विवाद दिखाता है कि भौगोलिक उपदर्शन केवल पंजीकरण नहीं, बाज़ार पहचान और क्षेत्रीय हितों का संतुलन है।" इस कथन की कोंकण-वलसाड विवाद के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: GI की अवधारणा और हालिया विवाद की पृष्ठभूमि संक्षेप में।

मुख्य भाग में: कोंकण अल्फोन्सो का 2018 का GI (आवेदन संख्या 139); वलसाड के आवेदन और तर्क; कोंकण का नाम संबंधी विरोध; आर्थिक दाँव; GI की सीमा-निर्धारण की नीतिगत जटिलता; बाज़ार में पहचान व्यवस्था (लोगो, QR) की ज़रूरत।

निष्कर्ष में: संतुलित निष्कर्ष: प्रतिष्ठा की रक्षा और नई पहचान के अवसर, दोनों के बीच समाधान; अलग नाम का विकल्प।

स्रोत

- [1] https://indianexpress.com/article/explained/maharashtra-gujarat-farmers-fighting-hapus-gi-tag-10976889/
- [2] https://search.ipindia.gov.in/GIRPublicSearch/Application/Details/139
- [3] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1548736
- [4] https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/only-one-hapus-konkan-farmers-reject-compromise-with-valsad-101795196809888.html
- [5] https://maharashtratimes.com/maharashtra/ratnagiri/gi-registry-verdict-on-application-for-valsad-hapus-konkan-alphonso-mango-farmers-demand-ban/articleshow/136086818.cms
- [6] https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1981?locale=hi

स्रोत [2] और [3] आधिकारिक हैं। [4] और [5] समाचार पुष्टि के लिए हैं ([5] मराठी में है)। [6] में अधिनियम का हिंदी शीर्षक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

▼ हापुस GI विवाद का सार क्या है?

वलसाड हापुस के लिए दायर GI आवेदन का कोंकण के अल्फोन्सो उत्पादक विरोध कर रहे हैं; सुनवाई पूरी हो चुकी है और GI रजिस्ट्री का निर्णय सुरक्षित है।

▼ कोंकण के उत्पादक किस बात का विरोध कर रहे हैं?

विरोध हापुस नाम को लेकर है; कोंकण का कहना है कि वलसाड अपने आम के लिए किसी अन्य नाम से GI मान्यता ले सकता है।

▼ कोंकण अल्फोन्सो का GI किन ज़िलों को कवर करता है?

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणे और पालघर, ये पाँच ज़िले GI में शामिल हैं।

▼ क्या वलसाड हापुस को GI टैग मिल गया है?

नहीं। सुनवाई पूरी हो चुकी है, पर निर्णय सुरक्षित रखा गया है; न नया GI जारी हुआ है और न किसी मौजूदा GI का रद्दीकरण हुआ है।

PCSMANTRA